कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन (म0प्र0)

//विज्ञप्ति//

क्रमांक 2716/तीन–9–35/2024 रायसेन दिनांक 08/07/2025

E-mail ID:dcourtrai-mp@nic.in

जिला न्यायालय रायसेन के शासकीय वाहन क्रमांक MP02AV3037 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा (2010) एवं MP02AV3038 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा (2010) निर्धारित ऑफसेट मूल्य के आधार पर खुली नीलामी की कार्यवाही निम्न शर्तों के अधीन की जाना है :–

(1) उक्त दोनों शासकीय वाहनों की नीलामी का ऑफसेट मूल्य पृथक पृथक वाहन हेतु रूपये 65,000–65,000 निर्धारित किया गया है।

(2) उक्त दोनों वाहनों की संयुक्त रूप से खुली नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता अमानत राशि रूपये 5000/– का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन'' के नाम से बनावाकर नजारत अनुभाग रायसेन में जमा करना होगा।

(3) उक्त अमानत राशि का प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट अंतिम उच्च बोली धारक को छोडकर शेष बोलीकर्ताओं को नीलामी कार्यवाही उपरांत वापिसी योग्य होगा।

(4) उक्त वाहनों की नीलामी कार्यवाही दिनांक **11 एवं 12 अगस्त 2025** को न्यायालय परिसर रायसेन में प्रातः 11.00 बजे सांयकाल 05.00 बजे तक प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग रायसेन के निर्देशन में संपादित की जावेगी।

(5) नीलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि का मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदन के माध्यम से नजारत अनुभाग रायसेन में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(6) नीलामी की समस्त कार्यवाही में अंतिम निर्णय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन'' का रहेगा।

(7) उक्त शासकीय वाहनों के अंतिम उच्च बोली धारक को नीलामी उपरांत 01 सप्ताह के अंदर नीलामी की शेष राशि(अमानत की राशि छोडकर) 01 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नजारत अनुभाग रायसेन में जमा कराना होगी।

(8) इस कार्यालय के नीलामी में प्राप्त दोनों शासकीय वाहनों में जिला परिवहन कार्यालय रायसेन में अंतिम उच्च बोली धारक को स्वयं के व्यय पर 01 माह के अंदर अपने नाम पंजीयन एवं अंतरण कराकर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(9) नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक यदि उक्त वाहनों का अवलोकन करना चाहें तो वह नीलामी तिथि तक कार्यालयीन समय में न्यायालय परिसर में खडे दोनों वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं।

08/7/2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन, म0प्र0